FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0086 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/03/2026 11:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 02/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 02/10/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 08:55 बजे **Time To (समय तक):** 16:45 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/03/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/03/2026 11:42:04 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 235 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** JUICS KI DUKAN, POLICE THANA MANDAL KE SAMNE, JILA BHILWARA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARAYAN GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHANKAR GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MATAJI KA KHERA, GRAM PANCHYAT AARJIYA, MANDAL, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MATAJI KA KHERA, GRAM PANCHYAT AARJIYA, MANDAL, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARMENDRA BUGALIYA		पिता:BHANWARARAM	1. RAON KE KHERA,POST DHUWALA,MANDAL,BHILWARA ,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2025 को कार्यालय अवकाश के दौरान परिवादी श्री नारायण गुर्जर द्वारा जरिये वॉट्सअप कॉल श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर बताया कि "मुझ प्रार्थी नारायण गुर्जर से मेरी पुरानी पत्नी श्रीमति हीरा उर्फ हीरू द्वारा किये गये परिवाद के संबंध में पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के कानि. श्री धर्मेन्द्र चौधरी द्वारा परिवाद का निपटारा करने के एवज में मेरे से बार-बार रिश्वत राशि 10,000 रूपयें की मांग कर रहा है जिसमें मैं कार्यवाही करवाना चाहता हू।" उक्त सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह ने परिवादी श्री नारायण गुर्जर को श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक भ्रनिब्यूरो चित्तौड़गढ के मोबाईल नम्बर दिये और परिवादी श्री नारायण गुर्जर को बताया कि आपसे मेरे कार्यालय के श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक सम्पर्क करेगा जिस पर परिवादी श्री नारायण गुर्जर से उनके मोबाईल नम्बर प्राप्त कर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को जरिये दुरभाष समय करीब 8.55 ए.एम. पर परिवादी के उक्त मोबाईल नम्बर देते हुए निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री नारायण गुर्जर के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करावे एवं परिवादी श्री नारायण गुर्जर से प्रार्थना पत्र प्राप्त करे जिस पर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गोपनीय सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय के डीवीआर मय मैमोरी कार्ड रिक्त शुदा प्राप्त कर भीलवाड़ा के लिये समय करीब 11.00 ए.एम. पर रवाना शुदा समय करीब 8.00 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक बाद गोपनीय सत्यापन के उपस्थित हुआ व हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दुरभाष समय करीब 4.45 पी.एम. पर अवगत कराया कि " सहायक उप निरीक्षक ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ से रवाना हो समय करीब 2.00 पी.एम. पर परिवादी श्री नारायण गुर्जर के मोबाईल नम्बर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया तो दोनो परिवादीगण भीलवाड़ा सुखाड़िया सर्किल डी-मार्ट के पास समय करीब 2.10 पी.एम. पर मिलना बताया तथा समय करीब 2.09 पी.एम. पर परिवादी श्री नारायण गुर्जर के मोबाईल नम्बर से सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल आया और बताया कि मैं सुखाड़िया सर्किल डी-मार्ट भीलवाड़ा अपने निजी वाहन में हू आप यहाँ आकर सम्पर्क करे जिस पर सहायक उप निरीक्षक द्वारा सुखाड़िया सर्किल डी-मार्ट भीलवाड़ा के पास पहुचकर मोबाईल से परिवादी को कॉल किया तो परिवादी ने गाड़ी से बाहर निकलकर सहायक उप निरीक्षक को ईशारा कर अपने पास बुलाया और सहायक उप निरीक्षक को उनकी गाड़ी में बिठाया गया तो गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका परिचय श्री राजु धोबी निवासी धुवाला एवं स्वयं का परिचय दिया और सहायक उप निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उक्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा परिवादी श्री नारायण गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी ने अपने संयुक्त हस्ताक्षर शुदा कार्यवाही करवाने से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे सहायक उप निरीक्षक ने पढकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया तथा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अग्रीम कार्यवाही गोपनीय सत्यापन हेतु सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपने पास से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड युक्त के संचालन की विधि दोनो परिवादीगणों को समझाई गई तो परिवादी श्री नारायण गुर्जर ने बताया कि आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा मेरी तलाशी ले सकता है बहुत शातिर आदमी है इसलिये डीवीआर आप रिकॉर्ड करने के लिये मेरे मित्र राजु धोबी (सहपरिवादी) को सुपुर्द करे जिस पर सहायक उप निरीक्षक ने उक्त डीवीआर परिवादी श्री नारायण गुर्जर के कहे अनुसार सहपरिवादी श्री राजु धोबी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु चालु बंद करने की समझाईश पुनः कर सिपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई कि सत्यापन से पूर्व डीवीआर ऑन करे एवं सत्यापन वार्ता होने के पश्चात आरोपी से दूर जाने पर बंद करे एवं स्पष्ट सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करे। बाद हिदायत मुनासिब के परिवादी श्री नारायण लाल गुर्जर के निजी वाहन में परिवादी व सहपरिवादी के साथ सहायक उप निरीक्षक भीलवाड़ा सुखाड़िया सर्किल से समय करीब 3.00 पी.एम. पर रवाना हो माण्डल पुलिस थाना से पहले सरकारी अस्पताल के पास रोड़ के साईड में गाड़ी खड़ी कर सहायक उप निरीक्षक को वही उतारा गया व परिवादी श्री नारायण गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी द्वारा पूर्व में आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. के मोबाईल पर लोकेशन की जानकारी प्राप्त की तो आरोपी कानि. थाने पर होने की जानकारी हुई फिर परिवादी व सहपरिवादी डीवीआर ऑन कर सत्यापन के लिये समय करीब 3.40 पी.एम. पर रवाना

किया। फिर समय करीब 4.45 पी.एम. बाद रिकॉर्ड वार्ता के परिवादी व सहपरिवादी सहायक उप निरीक्षक के पास आये जिस पर सहपरिवादी श्री राजु धोबी को जो पूर्व में डीवीआर दिया था उक्त डीवीआर सहायक उप निरीक्षक को प्रस्तुत किया जिसे सहायक उप निरीक्षक ने उक्त डीवीआर ऑन शुदा को बंद कर परिवादी व सहपरिवादी के साथ उनके निजी वाहन में सहायक उप निरीक्षक के माण्डल सरकारी अस्पताल से रवाना हो एकान्त स्थान आशा राम जी का आश्रम तालाब की पाल के पास पहुचकर एकान्त में उक्त डीवीआर को ऑन कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सहायक उप निरीक्षक ने सुना तो उक्त रिकॉर्ड वार्ता सत्यापन के दौरान परिवादी श्री नारायण गुर्जर से दो हजार रूपयें आरोपी कानि. श्री धर्मेन्द्र चौधरी द्वारा प्राप्त करने एवं बाकि शेष राशि दिनांक 03.10.2025 को सुबह समय करीब 10-11 बजे लेकर आने से संबंधित वार्ता एवं मांग सत्यापन में आरोपी कानि. की डिमाण्ड स्पष्ट नहीं थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ता सुनने के बाद परिवादी व सहपरिवादी से सहायक उप निरीक्षक ने पूछा तो परिवादी श्री नारायण गुर्जर ने बताया कि ‘‘हम दोनो आपसे डीवीआर लेकर थाने के पास गये किन्तु आरोपी कानि. द्वारा मोबाईल फोन काफी समय तक नहीं उठाया एवं बाद में उठाया और मेरे से व मेरे मित्र श्री राजु धोबी से बात करने के लिये पुलिस थाना माण्डल के सामने जूस की दुकान पर बुलाया जहाँ मैं व मेरा मित्र राजु धोबी पहुचे जहाँ पर आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. मिला जिनसे मेरे खिलाफ किये गये परिवादी के संबंध में बातचित की और आरोपी कानि. द्वारा रिश्वत राशि की मांग अपने मुह से नहीं कर उनके मोबाईल पर राउण्ड फिगर में 10 लिखा और मुझे व मेरे मित्र राजु धोबी को दिखाया तो मेरे मित्र श्री राजु धोबी ने जोर से बोलकर कहा कि 10 रूपये देने है क्या तो उसने कहा कि नहीं फिर वापिस मोबाईल पर 10 लिखा तो मैने कहा कि 10,000 रूपये तो ज्यादा है 7,000 रूपयें देंगे जिसमे से अभी यह 2,000 रूपयें ले लो और बाकि के 5,000 रूपयें बाद में दे देगे तो आरोपी कानि. ने कहा कि पुरा पैमेंट अभी कर देते तो मैने व मेरे मित्र श्री राजु धोबी ने कहा कि अभी हमारे पास रूपये नहीं है बाद में दे देगे तो फिर पहले तो कल दिनांक 03.10.2025 को सुबह के समय करीब 7-8 बजे देने के लिये कहा तो मेरे मित्र श्री राजु धोबी ने कहा कि नारायण सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठता है हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते है तो फिर आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. ने कहा कि ठीक है सुबह करीब 10-11 बजे आ जाना उक्त वार्ता होने के बाद हम दोनो डीवीआर को बंद करना भूल गये थे जो सहायक उप निरीक्षक को प्रस्तुत किया जिस पर सहायक उप निरीक्षक ने उक्त डीवीआर को बंद किया है।‘‘ उक्त तथ्यों की पुष्टि डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता से हुई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने जरिये दुरभाष अवगत कराया, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया की परिवादीगणों को दिनांक 04.10.2025 को पुनः स्पष्ट डिमाण्ड करने हेतु पाबंद करे एवं दोनो परिवादीगणों को वहीं रूखसत कर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को डीवीआर लेकर कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु बताया गया जिस पर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने दोनो परिवादीगणों को माण्डल तालाब की पाल के पास अपने-अपने निवास पर जाने के लिये रूखसत कर बाद गोपनीय सत्यापन के डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के समय करीब 8.00 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ पहुच डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय में सुरक्षित रखा गया जो दिनांक 03.10.2025 को समय करीब 9.30 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने ब्यूरो कार्यालय में सुरक्षित रखा हुआ उक्त रिकॉर्ड शुदा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश कर उपरोक्त हालात अर्ज किये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डीवीआर में दिनांक 02.10.2025 को परिवादी श्री नारायण गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी तथा आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई जिससे स्पष्ट होता है कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. द्वारा परिवादी श्री नारायण गुर्जर से सहपरिवादी श्री राजु धोबी के सामने 2,000 रूपयें ग्रहण करने एवं शेष राशि प्राप्त करने के संबंध में वार्ता है किन्तु आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. द्वारा स्पष्ट रूप से रिश्वत राशि मांग करने संबंधी रिकॉर्ड वार्ता नहीं होने से पुनः स्पष्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाना आवश्यक होने से श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री नारायण गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी से दिनांक 04.10.2025 को सम्पर्क कर पुनः सत्यापन करवाया जावे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नारायण गुर्जर पुत्र शंकर गुर्जर उर्म 32 वर्ष निवासी माताजी का खेड़ा ग्राम पंचायत आरजिया पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा हाल निवासी रावो का खेड़ा ग्राम पंचायत धुवाला पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 02.10.2025 को श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि ‘‘ प्रार्थी की पहले वाली पत्नी श्रीमति हीरा गुर्जर उर्फ हिरू गुर्जर द्वारा मेरे खिलाफ परिवाद सीओ ऑफिस माण्डल के मार्फत कर रखा है। जिसकी जानकारी मेरे को पुलिस थाना माण्डल पर कार्यरत श्री धर्मेन्द्र चौधरी कॉन्सटेबल नम्बर 468 द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर   पर श्री धर्मेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर   द्वारा दिनांक 22.09.2025 को समय करीब 6.40 पी.एम. पर कॉल कर बताया कि ‘‘तेरे खिलाफ तेरी पहली वाली पत्नी ने डिप्टी ऑफिस माण्डल में परिवाद दिया है और उसका निपटारा करने के लिये डिप्टी ऑफिस से कहा कि तु खर्चा पानी के 10,000 रूपयें दे दे नहीं तो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जायेगा।‘‘ उक्त बात बताते हुए मुझे धमकाया था तथा श्री धर्मेन्द्र चौधरी कॉन्सटेबल मुझे बार-बार परेशान करता है तथा मेरी पहली वाली पत्नी से मिला हुआ है

। उक्त कॉन्सटेबल मेरे हाल निवासी रावो का खेड़ा (धुवाला) का बीट कॉन्सटेबल है जिसे मैं रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू और रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हॅू। मेरी कॉन्सटेबल श्री धर्मेन्द्र चौधरी से किसी प्रकार की रंजिश अथवा रूपयें पैसो का पुराना लेन-देन बकाया नहीं है। मैं मेरे साथ मेरे मित्र श्री राजु धोबी निवासी धुवाला को साथ लेकर आया हॅू, जो मेरे साथ है। मेरी उक्त कार्यवाही में साथ रहेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मैं उक्त कॉन्सटेबल श्री धर्मेन्द्र चौधरी को रिश्वत राशि लेते हुए को पकड़वाना चाहता हॅू। कानूनी कार्यवाही करावे।'' उक्त मजमून रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है जिसमें दिनांक 02.10.2025 को किये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी श्री नारायण लाल गुर्जर से परिवाद की जांच करने के ऐवज में सत्यापन के दौरान 2,000 रूपयें प्राप्त करना एवं शेष राशि 5,000 रूपयें और लिया जाना तय हुआ है। दिनांक 04.10.2025 समय 11.00 ए.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को पुनः गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री नारायण गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी एवं आरोपी श्री धर्मेन्द चौधरी कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु ब्यूरो कार्यालय से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के माण्डल (भीलवाड़ा) के लिये रवाना शुदा समय 7.00 पी.एम. पर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ उपस्थित आया व हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि ''सहायक उप निरीक्षक मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना हो भीलवाड़ा पहॅुच परिवादी श्री नारायण गुर्जर से जरिये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी श्री नारायण गुर्जर द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 04.10.2025 सुबह समय करीब 10-11 बजे आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. मेरे गांव रावो का खेड़ा घर पर आया जिसके साथ एक और पुलिस वाला व्यक्ति साथ में था जिनका नाम मैं नहीं जानता है। श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. ने मुझे कहा कि दिनांक 02.10.2025 को तेरे साथ कौन व्यक्ति मेरे से जूस की दुकान पर बातचित की तब आया था तो मैने कहा कि मेरे साथ मेरा मित्र श्री राजु धोबी निवासी धुवाला वाला आया था जो हम दोनो साथ-साथ रहते है तब श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. ने मुझे कहा कि तेरे से कोई रूपये पैसा नहीं चाहिए आपका काम हो जायेगा। आप अपने साथ एक-दो व्यक्ति एवं आपकी पहले वाली पत्नी श्रीमति हिरू को भी बता देना वो भी उनके एक-दो व्यक्ति लेकर थाने पर 10-15 दिन बाद आ जाना, दोनो पार्टियो का समझौता करवा देगें व अन्य परिवाद से संबंधित बातचित की और चले गये''। उक्त श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. द्वारा बताई गई बात से स्पष्ट होता है कि अब श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. को मेरे पर कोई शंका हो गई है इसलिये अब वो रिश्वत राशि नहीं लेगा। उक्त तथ्य परिवादी ने श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को बताया जाने पर श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उपरोक्त हालात से जरिये दुरभाष अवगत कराया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया की ''अब आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. रिश्वत राशि की मांग नहीं करेगा इसलिये आप डीवीआर मय मेमोरी लेकर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ आ जाओ एवं परिवादीगणों को हिदायत मुनासिब जरिये दुरभाष करे कि उक्त कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखे एवं जब भी आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. द्वारा रिश्वत राशि की मांग करे अथवा सम्पर्क करे तो तुरन्त सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देवे'' उक्त निर्देश के क्रम में श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक भीलवाड़ा द्वारा जरिये दुरभाष दोनो परिवादीगणों को हिदायत मुनासिब कर बाद फारिक भीलवाड़ा रवाना हो ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया व उपरोक्त हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अर्ज किये तथा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय मालखाने में रखवाया गया। उपरोक्त हालात एवं परिस्थितियो से स्पष्ट होता है कि उक्त ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से आईन्दा परिवादी श्री नारायण गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी को तलब कर अब तक की गई कार्यवाही एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट एवं मूल मेमोरी कार्ड की जप्ती से संबंधित कार्यवाही की जावेगी तथा दिनांक 16.10.2025 समय 5.30 पी.एम. पर श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो चौकी चित्तौडगढ का अटैचमेन्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर होने से नव पदस्थापन पर रिलीव होने पर उक्त कार्यवाही से संबंधित परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय में रखा हुआ को प्राप्त कर, मूल मेमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड वार्ता का कार्यालय मालखाना से मालखाना प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. से निकलवा कर प्राप्त कर एवं अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट, परिवादी का मूल प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड शुदा मूल मेमोरी कार्ड को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर हाल अतिरिक्त चार्ज भ्रनिब्यूरो चित्तौड़गढ को सुपुर्द किया गया। फिर दिनांक 21.11.2025 समय 11.15 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त कुमार भ्रनिब्यूरो उदयपुर हाल अतिरिक्त चार्ज भ्रनिब्यूरो चित्तौड़गढ की जगह ब्यूरो चौकी चित्तौड़गढ का कार्य सम्पादन करने हेतु ब्यूरो मुख्यालय के आदेशानुसार श्री हरिश्चन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर के अटैचमेन्ट किये जाने पर चौकी चित्तौड़गढ का चार्ज सुपुर्द किया गया, जिस पर उक्त कार्यवाही से संबंधित परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय में रखा हुआ को प्राप्त कर, मूल मेमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड वार्ता का कार्यालय मालखाना से मालखाना प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. से निकलवा कर प्राप्त

कर एवं अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट, परिवादी का मूल प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड शुदा मूल मेमोरी कार्ड को अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् हरिश्चन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। दिनांक 26.11.2025, दिनांक 23.12.2025 एवं दिनांक 19.01.2026 को परिवादी एवं सहपरिवादी से जरिये दुरभाष सम्पर्क कर वार्ता की गई किन्तु परिवादी व सहपरिवादी से काफी सम्पर्क करने के बाद भी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नहीं आये।

दिनांक 30.01.2026 को समय करीब 1.20 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह के समक्ष परिवादी श्री नारायण गुर्जर पुत्र श्री शंकर गुर्जर निवासी रावो का खेड़ा (धुवाला) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा व सहपरिवादी राजु धोबी पुत्र श्री भंवर लाल धोबी निवासी धुवाला पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा उपस्थित हो पूर्व में दिनांक 02.10.2025 को पेश की गई रिपोर्ट एवं उक्त कार्यवाही में रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने के पश्चात आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा को उक्त ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने एवं शंका हो जाने से अब रिश्वत राशि नहीं लेगा। इस संबंध में परिवादी श्री नारायण लाल गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी के संयुक्त हस्ताक्षर शुदा प्रार्थना पत्र कार्यवाही नहीं कराने सम्बन्धी प्रस्तुत किया एवं परिवादी एवं सहपरिवादी ने अपने-अपने आधार कार्ड की छायाप्रति हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत की जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। परिवादी श्री नारायण लाल गुर्जर व सहपरिवादी श्री राजु धोबी के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने से अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह बुलाया जाना आवश्यक होने से परिवादीगणों को कार्यालय में बिठाया गया तत्पश्चात समय करीब 1.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 30.01.2026 द्वारा संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग चित्तौड़गढ से गोपनीय राजकार्य हेतु दो राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी भिजवाये जाने हेतु पत्र जारी कर कार्यालय हाजा के कानि. श्री सुनिल कुमार नं. 264 को देकर दो स्वतंत्र गवाह साथ लेकर आने की हिदायत मुनासिब कर कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग चित्तौड़गढ के लिये रवाना शुदा समय करीब 1.50 पी.एम. पर श्री सुनिल कुमार कानि. नं. 264 कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग चित्तौड़गढ पहॅुच स्वतंत्र गवाह तलबी की तहरीर की एक प्रति देकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह श्री गजराज सिंह चौहान हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ एवं श्री हिम्मत सिंह राठौड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ को हमरा लेकर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आये जिन्होने अपने उपस्थित होने संबंधी कार्यालय आदेश की प्रति एवं दोनो गवाहान ने अपने-अपने आधार कार्ड की छायाप्रति हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत की जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.10.2025 को पढ़ कर सुनाया तथा दिखाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा पुनः उसमें अंकित तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2026 को कार्यवाही नहीं कराने संबंधी हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे भी दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढाया गया, सुन समझ पढ अपने-अपने हस्ताक्षर किये। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र को शामील पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री नारायण गुर्जर एवं सहपरिवादी श्री राजु धोबी के समक्ष दिनांक 02.10.2025 को समय करीब 3.40 पी.एम. से 4.45 पी.एम. पर परिवादी तथा सह परिवादी आरोपी कानि. से वार्ता करने के लिये पुलिस थाना माण्डल में वार्ता करने हेतु जाते है परंतु आरोपी कानि. वहां नहीं होने से थाने के आस-पास उसका इंतजार करते है करीब 50 मिनट तक से परिवादी एवं सह परिवादी के मध्य अन्य वार्ता (असम्बंध वार्ता) एवं करीब 50 मिनट के पश्चात परिवादी, सह परिवादी एवं आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के मध्य पुलिस थाना माण्डल के सामने ज्यूस की दुकान पर हुई रूबरू वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री संदीप कुमार कानि 83 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मुख्य अंश निम्नानुसार हैः-

आवाज मूल वार्ता हिन्दी अनुवाद

श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. मतलब नहीं है ना मतलब नहीं है ना

श्री राजु धोबी कई दस रिप्या, दस रिप्या   कई दस रूपये, दस रूपयें (आरोपी द्वारा अपने मोबाईल में दस हजार रूपयें मांगने के लिये मोबाईल पर दस लिखकर बताया जिसे देखकर सहपरिवादी ने कहा)

श्री नारायण लाल गुर्जर अर दस हजार तो घणा हे जावअ, कर करा दो छोटो मोटो तो कम करो पांच पेली सुरेश न दे द्या ....अस्पष्ट आवाज....... अरे दस हजार तो बहुत हो जाते है, कर करा दो छोटा मोटा जो भी कम करके पांच पहले सुरेश को दे दिया ....अस्पष्ट आवाज........

श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. लास्ट ह लास्ट है।

श्री राजु धोबी सुरेश जी साहब के ये ही तो फोन लगायो सुरेश जी साहब को इन्होने ही तो फोन लगाया था

श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. बाकन तो बा रिपोर्ट ही अलग ही न उनके पास तो वो रिपोर्ट अलग ही थी न

श्री नारायण लाल गुर्जर रिपोटा कालअ दुसरा लगाई म्हाकअ तो लफडो ह रिपोर्ट कल से दुसरे लगायेगे तो मेरे तो समस्या है

श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. कारवाई कोई कन ही हो फोन मेरकन ही करणो ह चाहे कोई कार्यवाही किसी के पास ही हो फोन मेरे को ही करना है चाहे कोई
श्री नारायण लाल गुर्जर अब कई तकलीफ हेई तो आपकअ फोन करालां म्हे हणी हुं बाणु म्हारी सुणो दो तो बाणु दे दुं पांच कालअ दे (परिवादी द्वारा दो हजार रूपयें देने एवं पांच हजार रूपयें कल देने के संबंध में बताया गया) अब कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको ही फोन करूगां, मैं यही हुं अभी मेरी सुनो दो तो अभी दे दुं पांच कल देगें (परिवादी द्वारा दो हजार रूपयें देने एवं पांच हजार रूपयें कल देने के संबंध में बताया गया)
श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. अरे तु तो आज ही कर बाकी बाद की अरे तुम तो आज ही कर बाकी बाद की
श्री नारायण लाल गुर्जर दो तो बाणु मु लेअर आयो .... और न तो काल काल भलेई और रूक जाउ, कालअ पांचेक हजार आपनअ और भरोसो होव तो दो तो अभी मैं लेकर आया हॅ्ू। .....और नही तो कल कल भले ही और रूक जाउं, कल मैं पांच हजार रूपयें मैं आपको और भरोसा हो तो
श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. तु तो मकान बेच दियो मत्तेई आदमी जाण बिको काम जाणअ ....अस्पष्ट आवाज........ तुमने तो मकान बेच दिया, मत्तेई आदमी जान उनका काम जानके ....अस्पष्ट आवाज........
श्री नारायण लाल गुर्जर कन तो वानअ ही हमझाओ थोडी घणी खर्चो पाणी ले ल तु यार और कई, आपण तो पांच हजार, पांच हजार म वेज्या मामालो ....अस्पष्ट आवाज........ठीक ह, बत्तो ओर छाई न तो मु और दे देउं ठीक ह होकम ..... अब धंधा म दिमाग न लाग कई मतलब हां रोज रोज, आपकअ फोन आयो किको ही अब तो उनको ही समझाओ, थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेकर तुम यार और कई, आपके तो पांच हजार, पांच हजार में हो गया मामला..........अस्पष्ट आवाज........ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए नही तो मैं और दे दुगां, ठीक है हुकम........अब धंधे में दिमाग नहीं लग रहा है कोई मतलब, हां रोज रोज आपका फोन आता है उनका (परिवादी की पूर्व पत्नी का)
श्री राजु धोबी सुबह कतरी बजअ आवां सुबह कितनी बजे आये
श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. सुबह आ जाज्यो थाकं हिसाब मु सुबह आपके हिसाब से आ जाना
श्री राजु धोबी नहीं आप ही केदो ....अस्पष्ट आवाज........ नहीं आप ही कहो..........अस्पष्ट आवाज........
श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. सुबह म दस ग्यारह बजे तक थाणा म आउं सुबह मैं दस ग्यारह बजे तक पुलिस थाने में आउं
श्री राजु धोबी ग्यारह बजे आ जाओ थे काल आप कल ग्यारह बजे आ जाना
श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. साढे दस ग्यारह हेना साढे दस ग्यारह बजे हा ना
श्री राजु धोबी जल्दी निकलणो ह तो सुबह आठ बजे ही आ जाज्यो, रात की ड्युटी रेव म्हारी दस ग्यारह बजे तक तो यदि जल्दी निकलना है तो सुबह आठ बजे ही आ जाना, रात की ड्यूटी रहे तो मेरी दस ग्यारह बजे तक तो
श्री नारायण लाल गुर्जर दस ग्यारह बजे तक आ जाउं ..ठीक ह साहब अब आपको नाम लेवा ला काईको फोन आव तो दस ग्यारह बजे तक आ जायेगे... ठीक है साहब अब आपको नाम लेगे किसी का फोन आयेगा तो
श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. दुसरा न कोईन ही कोन केणो थारअ कोई तकलीफ होव तो मन फोन कर देणो दुसरे को किसी को भी नहीं कहना तुम्हारे कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कर देना

उपरोक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी श्री नारायण लाल गुर्जर से परिवाद की जांच करने के ऐवज में सत्यापन के दौरान 2,000 रूपयें प्राप्त करना एवं शेष राशि 5,000 रूपयें और लिया जाना तय हुआ। समय करीब 5.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी एवं सहपरिवादी के समक्ष दिनांक 02.10.2025 को समय करीब 3.40 पी.एम. से 4.45 पी. एम. पर परिवादी तथा सह परिवादी आरोपी कानि. से वार्ता करने के लिये पुलिस थाना माण्डल में वार्ता करने हेतु जाते है परंतु आरोपी कानि. वहां नहीं होने से थाने के आस-पास उसका इंतजार करते है करीब 50 मिनट तक से परिवादी एवं सह परिवादी के मध्य अन्य वार्ता (असम्बंध वार्ता) एवं करीब 50 मिनट के पश्चात परिवादी, सह परिवादी एवं आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के मध्य पुलिस थाना माण्डल के सामने ज्यूस की दुकान पर हुई रूबरू वार्ता की रिकॉर्डिंग कुल 01 रिकार्डिंग जो कार्यालय के सरकारी डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को तीन पेन ड्राईव केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग सिल्वर में श्री जितेन्द्र कुमार कानि नं. 76 से कॉपी करवाया जाकर एक पेन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर माननीय न्यायालय हेतु एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क P अंकित किया गया एवं एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में जितेन्द्र कुमार कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 5.15 पी.एम. पर प्रकरण में वांछित उपरोक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता जो कार्यालय के सरकारी डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की

हैश वैल्यु श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 76 से निकलवा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिवीआर से मैमोरी कार्ड निकालकर एक सफेद कपडे की थैली में रख कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क M-1 अंकित किया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में जितेन्द्र कुमार कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करबी 5.40 पी.एम. पर वजह सबूत मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा एवं माननीय न्यायालय का पेन ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा व आरोपी का पेन ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु कार्यवाहक मालखाना ईन्चार्ज श्री सुनील कुमार कानि0 264 को सम्लवाया जाकर मालखाने में रखवाया जाकर परिवादी व सहपरिवादी तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी श्री नारायण लाल गुर्जर एवं सहपरिवादी श्री राजु धोबी से परिवादी की पत्नी द्वारा पुलिस थाना माण्डल में जांचाधीन परिवाद में परिवादी के पक्ष में कार्यवाही करने के ऐवज में 10,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करने पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 02.10.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने पर आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा 10,000 रूपयें मोबाईल में टाईप कर दिखाया जिस पर परिवादी व सहपरिवादी ने 10,000 रूपयें ज्यादा होने पर 2,000 रूपयें सत्यापन के दौरान परिवादी की जेब में होने से वक्त सत्यापन आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. द्वारा प्राप्त करना एवं शेष राशि 7,000 रूपयें के संबंध में परिवादी व सहपरिवादी द्वारा कम करने का निवेदन करने पर 5,000 रूपयें और दिनांक 03.10.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर लिया जाना तय हुआ किन्तु किसी कारणवश आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा को उक्त ब्यूरो कार्यवाही की भनक लग जाने से रिश्वत राशि लिये जाने से मना किया गया।

आरोपी श्री धर्मेन्द्र बुगालीया पुत्र श्री भंवरारा‌म जाति चौधरी निवासी बुगालियों की ढाणी पोस्ट खाखोली थाना मोलासर जिला नागौर हाल कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा का उक्त आपराधिक कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री धर्मेन्द्र बुगालीया पुत्र श्री भंवरारा‌म जाति चौधरी निवासी बुगालियों की ढाणी पोस्ट खाखोली थाना मोलासर जिला नागौर हाल कानि. नं. 468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के विरूद् बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हरिश्चिन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ।.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चिन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धर्मेन्द्र बुगालीया पुत्र श्री भंवरारा‌म जाति चौधरी निवासी बुगालियों की ढाणी पोस्ट खाखोली थाना मोलासर जिला नागौर हाल कानि. नं.468 पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 67 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 580-83 दिनांक 30.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/03/2026 11:46:36

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)